राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रु.प-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(14)राज-6/95/4 जयपुर, दिनांक:- 17-3-99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 सन् 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-10 के अधीन तथा राजस्थान भू-राजस्व (पेमेन्टस, क्रेडिट, रिफण्डस एवं रिकवरी) नियम, 1958 के अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित कर्त्तव्यों तथा शक्तियों का प्रयोग वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित समस्त नियमित वृत्तों में नियुक्त सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा स्वंतत्र मुख्यालयों पर स्थित वृत्त में नियुक्त समस्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्या-24) के अधीन सभी प्रकार की बकाया एवं शास्ति के संबंध में किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(संजय दीक्षित)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महो0/राजस्व मंत्री महो0/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व / आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.3.99 में प्रकाशनार्थ।
6. "रापिरो" राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. उप-निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्वमण्डल, अजमेर।
9. वित्त कर विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

नोट/